न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–सुनिता चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील सं0 333 /2026 अनवान करनाराम व अन्य बनाम गोकला वगैरा

दिनांक 12 .05.2026

उक्त अपील राज0 भू राजस्व अधि0 1956 की धारा 75 के तहत उपखण्ड अधिकारी चौहटन (बाड़मेर) द्वारा अंतर्गत धारा 111, 128 आरएलआर एक्ट के तहत राजस्व आवेदन सं0 176/2025 बअनवान गोकला बनाम आईदान व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 27.03.2026 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र मय श0प0 प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0सं0 1 –प्रार्थी–गोकला ने प्रार्थना प्रस्तुत कर तहसील चौहटन स्थित ग्राम नेहरो की बस्ती के ख.नं. 525/401 की उल्लेखित रकबा भूमि की नेखमबंदी करवाने का आग्रह किया, जिसे अपीलाधीन आदेश द्वारा स्वीकार किया गया। इससे व्यथित होकर अपीलांट–करनाराम वगैरा ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

अपील के साथ अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा करने हेतु अवधि गणनार्थ अधिनियम की धारा 05 के तहत प्रार्थना पत्र मय श0प0 तथा अपील प्रस्तुत करने की अनुमति हेतु धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे न्यायहित में स्वीकार कर प्रकरण का गुणावगुण पर परीक्षण किया गया।

वकील अपीलांट श्री बी0एल0 डूडी एवं रेस्पो0सं0 18 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह निवेदन किया कि अपीलार्थीगण वादग्रस्त खसरान के पडौसी ख.नं. 647/404 के खातेदार है। जिसे आलौच्य प्रकरण में पक्षकार बनाये बिना एवं बिना किसी नोटिस एवं सुनवाई का अवसर दिये अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। वादग्रस्त खसरा की भूमि ख0नं0 401 से विभाजित होकर राजस्व ग्राम नेहरो की बस्ती एव खारिया डेर की सरहद पर स्थित होने से ओवरलेप है तथा मौके पर भूमि अवस्थित नही है। सेटलमेंट ऑपरेशन के दस्तावेज एवं वर्तमान राजस्व दस्तावेज में भिन्नता होने के कारण प्रत्यर्थी वास्तविक एवं भौतिक कब्जे के आधार पर ही नेखमबंदी करवाने का अधिकारी है। अपीलाधीन आदेश सीमाज्ञान रिपोर्ट एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के बिना ही पारित कर दिया गया है। जबकि प्रकरण में सेटलमेंट के समय बनाये गये मोमीट्रेस नक्शें एवं रेकर्ड के मुताबिक मौका रिपोर्ट मंगवा कर आदेश किया जाना चाहिए था। प्रत्यर्थी अपीलाधीन आदेश की आड़ में अपीलार्थीगण की भूमि पर कब्जा करने को आमदा है। अतः अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत

त एवं विधि विरूद्ध होने से निरस्त फरमाने एवं पुनः सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय तप्रेषित करने का आग्रह किया गया।

जवाब में राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए प्रकट तथ्यों आधार पर प्रकरण में विधिसम्मत निर्णय पारित कराने का आग्रह किया गया।

हमने दोनो पक्षों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन व मनन किया। जिसके अनुसार प्रकट है अपीलाधीन आदेश तहसीलदार चौहटन की रिपोर्ट व सीमांकन रिपोर्ट के बिना ही पारित कर दिया गया है। वकील अपीलांट का अभिकथन है कि अपीलांट्स वादग्रस्त खसरान के पडौसी खातेदार है, जिसे आलौच्य प्रकरण में पक्षकार संयोजित नही किया गया तथा वादग्रस्त खसरान की भूमि दो गांवों–नेहरों की बस्ती व खारिया डेर की सरहद पर स्थित होने से सीमाओं का ओवरलेप है। चूंकि अपीलांट्स हस्तगत अपील के माध्यम से उक्त प्रकरण में सुनवाई चाहते है। अतः न्यायहित में उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित समझा गया।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन (बाड़मेर) द्वारा राजस्व आवेदन सं0 176/2025 बअनवान गोकला बनाम आईदान व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 27.03.2026 निरस्त किया जाता है। साथ ही उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह वादग्रस्त खसरान की भूमि का सीमांकन एवं पत्थरगड़ी हेतु अपीलांट एवं रेस्पो0 तथा अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारान/खातेदारान को पक्षकार संयोजित कर, उनकी सुनवाई हेतु नोटिस जारी कर, विधिवत तामिली के पश्चात, तहसीलदार की रिपोर्ट प्राप्त कर, **03 माह में** सीमांकन एवं पत्थरगढी हेतु विधिसम्मतः आदेश पारित करावे।

निर्णय आज **दिनांक** 12.5.26 को खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली द रजिस्टर कर, फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे। अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय सत्यप्रति से सूचित किया जावे।

12/5/26.

(सुनिता चौधरी)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
जोधपुर